



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1326]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2005/अग्रहायण 29, 1927

No. 1326]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2005/AGRAHAYANA 29, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(पेपर अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1785(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार के आदेश संख्यांक का. आ. 1105(अ) तारीख 11 अक्टूबर, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की अनुसूची के पैरा 4 में मिल का नाम और अवस्थिति से संबंधित क्रम संख्या 18 के सामने प्रविष्टि में "राम पेपर मिल्स लिमिटेड" शब्दों के स्थान पर "रामा पेपर मिल्स लिमिटेड" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 4(12)93/पेपर]

उमेश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक, का. आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 द्वारा प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् का. आ. 1371(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2005 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 20th December, 2005

S.O. 1785(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry Number S.O. 1105(E) dated the 11th October, 2004, namely :—

In the said Order, in the Schedule, in paragraph 4 relating to Name of the Mill and Location, in the entry against serial number 18, for the words "Ram Paper Mills Ltd.", the words "Rama Paper Mills Ltd.," shall be substituted.

[F. No. 4(12)93/Paper]

UMESH KUMAR, Jt. Secy.

Note :—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 1105(E) dated the 11th October, 2004 and subsequently amended vide number S.O. 1371(E), dated 19 September, 2005.